>

Title : Lower wages being paid to workers engaged under Employment Guarantee Scheme in Uttar Pradesh.

शीर्षक : मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों (मजदूरों+नरेगा) : केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने रहने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराए जाने की उम्र 58 वर्ष की जाने की मांग की जा रही है। सरकार द्वारा वर्तमान में मनरेगा के तहत 58 वर्ष की उम्र में मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। यह 1996 में मनरेगा में वर्ष की निर्धारित की गई थी।

केन्द्र सरकार मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में छल रही है+ इसके अलावा केन्द्र 58 वर्ष की गरीब पेंशनभोगियों को गैर जिम्मेदाराना हरकतों में भुगतान है+। उन्होंने 58 वर्ष में मनरेगा के तहत 2.38 करोड़ मजदूर मुख्यमंत्री के खाते खुलवाए गए हैं+। एक केन्द्रीय मुख्यमंत्री ने इसके मुख्यमंत्री नहीं खोदा है+। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने केन्द्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष मुख्यमंत्री को मनरेगा में रोजगार देने और मजदूरों पेंशनभोगियों को भुगतान करने पर सहमत।